<u>महत्वपूर्ण।</u>

<u>संख्याः- 26/2018/704/अड़तीस-9-18-644/2018</u>

प्रेषक,

टी0के0 शिबु
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बागपत।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 15 नवम्बर, 2018**

विषयः-जनपद-बागपत के शहीद सिपाही श्री अंकित तोमर को सामाजिक सम्मान प्रदान किये जाने हेतु किसी मार्ग का नामकरण उनके नाम पर रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1270/1-सी/पी0डब्लू0डी0-नि0ख0/2018 दिनांक-17.10.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिल्ली यमुनोत्री मार्ग के कि0मी0 60 में बड़ौत के पास लगने वाले पशु पैठ से प्रारम्भ होकर लोहड्डा, वाजिदपुर (शहीद का ग्राम) बड़ावद होते हुए बिजवाड़ा तक के मार्ग (लम्बाई 10.30 किमी0) को शहीद श्री अंकित तोमर के नाम से नामकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-303/23-2-95-98-94 दिनांक-03.02.1995 तथा शासनादेश सं0-1991(1)/23-1-08-81सा/2008 दिनांक-01.07.2008 में उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में उक्त मार्ग को शहीद श्री अंकित तोमर के नाम से नामकरण किये जाने पर एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी0के0 शिबु
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 26/2018/704/अड़तीस-9-2018, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि, विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,
टी0के0 शिबु
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in